कार्यालय :– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता (राज.)

क्रमांक :– 151 स्था. दिनांक :– 23 अक्टूबर, 2020

–:कार्यालय आदेश:–

01. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के आदेश क्रमांक RSJA/RJS(Estt.)/2020/136 दिनांक 03.10.2020 के द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को दिनांक 27.10.2020 से 12.02.2021 तक प्रथम चरण फील्ड ट्रेनिंग हेतु इस न्यायक्षेत्र में नियुक्त (Placed) किया गया है जो दिनांक 27.10.2020 से 31.10.2020 तक नोडल अधिकारी कम जज इंचार्ज के निर्देशन में इस न्यायक्षेत्र के प्रशासनिक सेटअप व विभिन्न अनुभागों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे :–

क्र.सं.	प्रशिक्षु अधिकारी	मुख्यालय	नोडल अधिकारी कम जज इंचार्ज
01	श्री रविन्द्र छाबा	मेड़ता	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता
02	श्री दिलीप चौधरी	मेड़ता	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता
03	श्री सुनील गोस्वामी	डीडवाना	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना
04	श्री रोहित शर्मा	नागौर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 01, नागौर
05	श्री रिछपाल सिंह गिला	नागौर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 01, नागौर

मेड़ता मुख्यालय

02. दिनांक 27.10.2020 से 31.10.2020

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षु अधिकारी	प्रशिक्षण कार्यक्रम
01	श्री रविन्द्र छाबा	प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी नजारत शाखा/प्रतिलिपि शाखा/कम्प्यूटर शाखा/मालखाना/अभिलेखागार/संस्थापन, मेड़ता में नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज ट्रेनिंग के निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
02	श्री दिलीप चौधरी	

03. दिनांक 02.11.2020 से 12.02.2021

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षु अधिकारी	अवधि	अधिकारी, जिनके साथ अटेच रहेंगे	नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज ट्रेनिंग
01	श्री रविन्द्र छाबा	02.11.2020 से 12.11.2020	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता.
		17.11.2020 से 27.11.2020	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	
		01.12.2020 से 11.12.2020	अति .सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	
		14.12.2020 से 24.12.2020	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	
		02.01.2021 से 14.01.2021	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	
		15.01.2021 से 27.01.2021	अति .सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	
		28.01.2021 से 12.02.2021	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	
02	श्री दिलीप चौधरी	02.11.2020 से 12.11.2020	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	
		17.11.2020 से 27.11.2020	अति .सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	
		01.12.2020 से 11.12.2020	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	
		14.12.2020 से 24.12.2020	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	
		02.01.2021 से 14.01.2021	अति .सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	
		15.01.2021 से 27.01.2021	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	
		28.01.2021 से 12.02.2021	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता	

नागौर मुख्यालय

04. दिनांक 27.10.2020 से 31.10.2020

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षु अधिकारी	प्रशिक्षण कार्यक्रम
01	श्री रोहित शर्मा	प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी नजारत शाखा/प्रतिलिपि शाखा/कम्प्यूटर शाखा/मालखाना/अभिलेखागार/संस्थापन, नागौर में नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज ट्रेनिंग के निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
02	श्री रिछपाल सिंह गिला	

05. दिनांक 02.11.2020 से 12.02.2021

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षु अधिकारी	अवधि	अधिकारी, जिनके साथ अटेच रहेंगे	नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज ट्रेनिंग
01	श्री रोहित शर्मा	02.11.2020 से 12.11.2020	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नं.01, नागौर.
		17.11.2020 से 27.11.2020	अति.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	
		01.12.2020 से 11.12.2020	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	
		14.12.2020 से 24.12.2020	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	
		02.01.2021 से 14.01.2021	अति.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	
		15.01.2021 से 27.01.2021	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	
		28.01.2021 से 12.02.2021	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	
02	श्री रिछपाल सिंह गिला	02.11.2020 से 12.11.2020	अति.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	
		17.11.2020 से 27.11.2020	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	
		01.12.2020 से 11.12.2020	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	
		14.12.2020 से 24.12.2020	अति.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	
		02.01.2021 से 14.01.2021	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	
		15.01.2021 से 27.01.2021	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	
		28.01.2021 से 12.02.2021	अति.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर	

डीडवाना मुख्यालय

06. दिनांक 27.10.2020 से 31.10.2020 तक

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षु अधिकारी	प्रशिक्षण कार्यक्रम
01	सुनील गोस्वामी	प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी नजारत शाखा/प्रतिलिपि शाखा/कम्प्यूटर शाखा/मालखाना/अभिलेखागार/संस्थापन, डीडवाना में नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज ट्रेनिंग के निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

07. दिनांक 02.11.2020 से 12.02.2021

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षु अधिकारी	अवधि	अधिकारी, जिनके साथ अटेच रहेंगे	नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज ट्रेनिंग
01	श्री सुनील गोस्वामी	02.11.2020 से 12.11.2020	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना.
		17.11.2020 से 27.11.2020	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,डीडवाना	
		01.12.2020 से 11.12.2020	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना	
		14.12.2020 से 24.12.2020	सिविल न्यायाधीश एव न्यायिक मजिस्ट्रेट,डीडवाना	
		02.01.2021 से 14.01.2021	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना	
		15.01.2021 से 27.01.2021	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,डीडवाना	
		28.01.2021 से 12.02.2021	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना	

–:सामान्य निर्देश:–

1. प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी कार्य दिवस के दिन सांय 05.15 से पहले न्यायालय परिसर नहीं छोड़ेंगे।
2. प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण अपनी दैनिक उपस्थिति प्रतिदिन नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज ट्रेनिंग के समक्ष राजस्थान न्यायिक अकादमी के निर्देशानुसार दर्ज करेंगे तथा जज इन्चार्ज ट्रेनिंग प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों की प्रत्येक माह की उपस्थिति आगामी माह की 01 तारीख को इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
3. पीठासीन अधिकारी, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी को परिपत्र RSJA/RJS-Trng/2020/F-8/1397 दिनांक 03.10.2020 के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षु अधिकारी

उपर्युक्त दिशा निर्देश के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दैनिक डायरी का संधारण करेंगे एवं उसमें दिन–प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यो का ब्यौरा अंकित करेगें तथा दैनिक डायरी अवलोकनार्थ प्रशिक्षक पीठासीन अधिकारी के समक्ष अगले दिन प्रातः प्रस्तुत करेंगे।

4. प्रशिक्षण देने वाला अधिकारी यदि अवकाश पर हो/मुख्यालय पर उपस्थित ना हो तो प्रशिक्षु अधिकारी लिंक अधिकारी के पास नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज ट्रेनिग के निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेगे। नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज ट्रेनिग Training Module के अनुसार प्रशिक्षु अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. नोडल अधिकारी कम् जज इन्चार्ज परिपत्र RSJA/RJS-Trng/2020/F-8/1397 दिनांक 03.10.2020 में दिये दिशा निर्देश के अनुसार प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी को नियमित प्रशिक्षण के अलावा लोक अदालत, विधिक सेवा, लेखा शाखा, प्रतिलिपि शाखा, अभिलेख कोष्ठ व प्रशासनिक कार्यो का भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेगें।
6. प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी अपने अनुभवों को नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज से साझा करेगें तथा प्रति सप्ताह शुक्रवार को मध्याहन पश्चात अपना प्रतिवेदन नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज के समक्ष पेश करेगें तथा नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज उक्त पत्र में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगें। प्रभारी अधिकारी के अवकाश पर होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के अवकाश पर रहने के दौरान लिंक अधिकारी द्वारा उक्त कर्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा। जिला मुख्यालय से बाहर के नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज के अवकाश पर होने/मुख्यालय से बाहर होने पर प्रशिक्षु अधिकारी नोडल अधिकारी कम जज इन्चार्ज के उपस्थित होने पर प्रतिवेदन उनके समक्ष पेश करेगें।
7. प्रत्येक प्रशिक्षु अधिकारी दीवानी एवं फौजदारी के लिये अलग–अलग रजिस्टर भी संधारित करेंगे जिसमें वे उनके द्वारा लिखे गये आदेशों का अंकन करेंगे जो कि सम्बंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा चैक किया जाकर आवश्यक निर्देश/मार्गदर्शन दिया जायेगा।
8. प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी सक्रिय रूप से न्यायालय की कार्यवाहियों विशेष रूप से बयान दर्ज करने तथा आदेशों के प्रारूप आदि तैयार करने का कार्य अधिकारी जिसके साथ उन्हें अटैच्ड किया गया है, से विचार विमर्श करने के पश्चात् स्वयं के स्तर पर तैयार करेंगे। प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी दीवानी एवं फौजदारी मामलों की प्रत्येक स्टेज का 3–4 दिन में परीक्षण कर पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं न्यायालय की कार्यवाहियों में भी ध्यान देंगे।
9. प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण प्रशिक्षण के दौरान दीवानी प्रकरणों में प्रस्तावित तनकीयात, आदेश, निर्णय एवं फौजदारी प्रकरणों में प्रस्तावित रिमाण्ड, आरोप सारांश, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुसार करेंगे।
10. प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण समय–समय पर रिकॅार्ड होने वाले मृत्युकालीन कथन, बयान अन्तर्गत नियम 164 सीआरपीसी कारागृह में अभियुक्तगण की शिनाख्त कार्यवाही, सम्पत्ति की पहचान, एनडीपीएस एक्ट के 52 ए के अनुसार इन्वेन्ट्री तैयार करना, रिमाण्ड व बेल ऑर्डर तैयार करना, सीआरपीसी की धारा 82–83, 299 एवं 446 के तहत आदेशिकाएं तैयार करने तथा पेटी ऑफेंस से सम्बंधित प्रकरणों में ड्राफ्ट आदि तैयार एवं धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान मुलजिम तैयार करने की भी समस्त कार्यवाही का अवलोकन करेंगे तथा उक्त कार्यवाही के अवलोकन सम्बंधी नोट्स तैयार कर अपनी कार्य निष्पादन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे।
11. प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण अगले 02–03 दिन में नियत पत्रावलियाँ जो साक्ष्य हेतु नियत है, का अवलोकन करेंगे तथा मामलें का निष्कर्ष नोट करेंगे। प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी प्रतिदिन कम से कम 02 प्रकरणों में स्वयं की हस्तलिपि में पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार विधि अनुसार साक्ष्य लेखबद्ध करेंगे।
12. प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी विभिन्न प्रकरणों में न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन करेंगे एवं उसके सम्बन्ध में डेली डायरी में नोट अंकित करेंगे।
13. न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पश्चात् प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी स्वयं द्वारा तैयार ड्राफ्ट आदेश की उससे तुलना करेंगे, उसके नोटस बनायेंगे एवं प्रभारी अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत करेंगे।
14. प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा कोविड–19 के सम्बन्ध में (C) "STANDARD OPERATING PROCEDURE/GUIDELINES REGARDING COVID-19" में दिये गये समस्त निर्देशों की पालना करेंगे।
15. उक्त प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व नोडल अधिकारी कम जज इंचार्ज ट्रेनिंग को लिखित में सूचित कर अनुज्ञा प्राप्त कर प्रस्थान कर सकेंगे।
16. कोविड–19 या कुछ अपरिहार्य कारणों से नियमित सुनवाई नहीं होने पर प्रशिक्षण अधिकारी एवं नोडल अधिकारी परिपत्र RSJA/RJS-Trng/2020/F-8/1397 दिनांक 03.10.2020 के अनुसार प्रशिक्षु अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(भुवन गोयल) 23.10.2020
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

क्रमांक....................

दिनांक 23 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
02. श्रीमान निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर ।
03. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता / डीडवाना / नं.01, नागौर ।
04. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर ।
05. अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता / नागौर / डीडवाना।
06. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता / नागौर / डीडवाना ।
07. अति.सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता / नागौर ।
08. श्री रविन्द्र छाबा / श्री दिलीप चौधरी / श्री सुनील गोस्वामी / श्री रोहित शर्मा / श्री रिछपाल सिंह गिला, प्रशिक्षु आर.जे.एस. को पालनार्थ ।
09. रक्षित पत्रावली ।

23.10.2020

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता ।

मान्यवर जी,